आपने अधिकारों के बारे में आईईसी के साथ जानें।

आप्रवासी रक्षा परियोजना समुदाय में आप्रवासन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) गिरफ्तारियों की निगरानी करती आ रही है।

आईईसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने का जोखिम किसे है?

कानून संघीय सरकार को कुछ अप्रवासियों को निर्वासित करने की अनुमति देता है, जिनमें निम्नलिखित अप्रवासी शामिल हैं:

- कोई भी व्यक्ति जिसके पास वैध आव्रजन स्थिति नहीं है
- स्थिति वाले लोग (उदाहरण के लिए, वैध स्थायी निवासी, शरणार्थी और वीजा धारक) जिन पर कुछ आपराधिक दोष हैं

संघीय सरकार आईसीई को बताती है कि उन्हें किसे प्राथमिकता के आधार पर गिरफ्तार करना चाहिए। आईसीई अधिकारी यह तय करते हैं कि वे वास्तव में वे गिरफ्तार करें, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके बारे में उनका दावा है कि वे:

- निष्कासन के अंतिम आदेश (निर्वासन आदेश) हैं,
- निर्वासन योग्य हैं और उन पर लंबित आपराधिक मामले और/या पहले से आपराधिक दोष सिद्ध हैं,
- जो अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश कर गए हैं और जिनके पास आव्रजन स्थिति नहीं है, या
- जो "सार्वजनिक सुरक्षा" या "राष्ट्रीय सुरक्षा" के लिए खतरा पैदा करते हैं।

संघीय प्रशासन इन प्राथमिकताओं को बदल सकता है। भले ही आपको लगता हो कि आप आईसीई की गिरफ्तारी प्राथमिकताओं में नहीं आते, फिर भी आईसीई आपको गिरफ्तार करने का फैसला कर सकता है, अगर आप निर्वासन के लिए कमजोर स्थिति में हैं।

वो लोग जिन के पास कानूनी रुतबा है आरै पुराने दोष उन पर हों।

ध्यान रखें : आप निशाना हो सकते हैं, चाहे:

- आप पर दोष या सज़ा कई साल पहले के हैं।
- चाहे आपने जेल में समय नहीं गुजारा है।
- आपका अपराध छोटा या मामूली था।
- आप काफी लंबे समय से स्थाया कानूनी निवासी हों, और/या
- आपके परिवार के बाकी सब सदस्य अमरीका के नागरिक हैं।

क्या निर्वासन व सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) ऐसे किसी व्यक्ति से सम्पर्क कर सकती है जिसे वे समझते हैं कि वो निर्वासित कर सकते हैं?

आईसीई एजेंट आमतौर पर उस व्यक्ति की पहचान करते हैं जिसे वे समय से पहले गिरफ्तार करना चाहते हैं। फिर वे उस व्यक्ति की तलाश करने के लिए घरों, न्यायालयों, आश्रयों और कार्यस्थलों पर जाते हैं। कभी–कभी वे किसी व्यक्ति को खोजने के अन्य तरीकों, जैसे कि उनके काम पर जाने के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए घर जाते हैं। ज्यादातर, वे गिरफ्तारी करने के लिए सड़क पर इंतजार करते हैं।

आईसीई एजेंटों के लिए लोगों के पास जाना और केवल उनके दिखने या भाषा बोलने के आधार पर उनके दस्तावेज माँगना अवैध है। यदि ऐसा होता है, तो आपको आईसीई के साथ किसी भी तरह की बातचीत या तालमेल के समय चुप रहने का अधिकार है।

अगर मुझे पता चल जाए कि मैं जोखिम में हूँ तो मैं क्या कर सकता/सकती हूँ?

- अगर आप आईसीई द्वारा गिरफ्तार किसे जाते हो तो आपपी निकटतम सहियोगियों के साथ **एक योजना बनाऐं।**
- अप्रवासन (इमीग्रेशन) अधिकारियों के सम्पर्क में आने से बचें – बिना अपने वकील की सलाह के अपनी अप्रवासन (इमीग्रेशन) स्थिति या अपने ग्रीन कार्ड को नवीनीकृत करवानें के लिए प्रार्थना पत्र न दें और न ही अमरीका से बाहर की यात्रा करें।
- **आपराधिक न्याय प्रणाली (क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) के साथ संपर्क में आने से बचें।** पुलीस आने उँगलियों के निषान अप्रवासन विभाग के साथ साझा कर सकती है।

आप्रवासन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) संघी सरकार ऐजेंसियों में से एक है जो लागों के निवार्सन देने के लिए जिम्मेवार है। आईसीई अमरीकी होमलैंड सुरक्षा विभाग (डीएचएस) का हिस्सा है।

अगर आपके या आपके किसा नज़दीकी को निर्वासन का खतरा है तो एक योजना की तैयारी करके रखें।

आपके पास कौन से अधिकार हैं, यह जानना और उनका प्रयोग करना जटिल है। अधिक जानकारी के लिए **immdefense.org/kyr** देखें।

यह सामग्री जानकारी के उद्देष्य से प्रदान की जाती है और इसमें किसी तरह की कानूनी सलाह षामिल नहीं होता। चित्र व सामग्री। फरवरी 2025 को अपडेट किया गया

स्थानीय संगठन की जानकारी

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Intl. License. (creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0)

अगर आईसीई ऐजंट सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर पर मुझ से संपर्क करते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए?

जब आईसीई ऐजंट सड़क सार्वजनिक तौर पर किसी को गिफ्रतार करते हैं (या किसी कार को रोकने के बाद), यह आम तौर पर एकदम होता है। वे आपका नाम ऊँची आवाज़ में पुकार सकते हैं और आपको आपके नाम की पु"टी के लिए कह सकते हैं और फिर आपको हिरासत में ले सकते हैं।

- अपना नाम और कुछ कहने से पहले, पूछें, **''क्या मैं जाने के लिए स्वतंत्र हूँ?''**
    - **अगर वो हां कहते हैं** तो कहें, ''मैं आपके प्रष्नों के उत्तर नहीं देना चाहता'' या ''मैं इस समय आपके साथ बात नहीं करूंगा।'' और चले जाएँ।
    - **अगर वो ना कहते हैं** – चुप रहने के अपने अधिकार का प्रयोग करें। कहें, ''मैं अपके प्रष्नों उत्तर न देने और अपने अधिकरों की प्रयोग करना चाहता हूँ।'' और फिर कहें ''मैं किसी वकील से बात करना चाहता हूँ।''
- अगर वो आपकी जेबों सा सामान की जांच (ताला'ाी) करनी षरू करते हैं, तो कहें, ''मैं आपको अपनी तालाषी की अनुमति नही देता।''
- **झूठ न बालें और झूठे दस्तावेज़ न दिखायें। भागें नहीं और न ही गिफ्रतारी का विरोध करे।**
- अपनी आप्रवासन स्थिति और आपका जन्म कहां हुआ है, के बारे में पूछे गए प्र'नों का उत्तर न दें। वो आपके द्वारा दी गई किसी भी जानकारी को आपके विरुद्ध प्रयोग कर सकते है। कोई भी विदेषी दस्तावेज़ जैसे कि पार पत्र (पास्पोर्ट), कौंसलर पहचान पत्र, या अपनी अवधि पूर्ण कर चुका वीज़ा उन्हें न दें।
- अगर आप किसी न्यायिक तारीख के लिए आपराधिक न्यायालय में हैं, तो गिफ्रतार किए जाने से पहले अपने वकील कि साथ बात करने कि लिए कहें, इससे पहले कि वो आपको ले जाएँ।

यदि अधिकारी में घर पर आ जाते हैं, तो क्या मुझे पता लगेगा कि वो आईसीई से हैं?

हमें'ाा नहीं! सावधान रहें : आईसीई ऐजंट आमतौर पर पुलीस के भे"ा में आते है और आपके साथ आपकी पहचान की चारी या चल रही जांच के बारे में बातें करने की बात कहते हैं।

क्या आईईसी के ऐजंट मेरी गिफ्रतारी के लिए मेरे घर में प्रवे'ा कर सकते हैं?

यदि ऐजंटों के पास जज द्वारा हस्ताक्षर किए वारंट नहीं हैं, तो वो किसी भी व्यस्क (बालिग) व्यक्ति के घर उसकी आज्ञा के बिना घर में प्रवे'ा नही की कहते हैं। दरवाज़ा पर दस्तक करना उनको आपके घर में दाखिल होने की आज्ञा नहीं देता है।

यदि अधिकारी मेरे घर के दरवाज़े पर हैं तो मैं क्या करूँ?

- यह पता करें कि वो डीएचएस से हैं सा आईसीई से।
- षांत रहने की कोषिष करें। निम्रता बनाये रखें। झूठ न बोलें। कहें, **''मैं इस समय आपके साथ बात नहीं करना चाहता।''**
- निम्रता से उनको जज द्वारा हस्ताक्षर किए वारंट को देखने के लिए दरवाज़े कि नीचे से खिसकाने कि लिए कहें। अगर उनके पर कुछ ऐसा नहीं है तो उन्हें उन्हें भीतर प्रवे'ा करवाने से इनकार करें।
- यदि वो किसी और को ढूंढ रहे हैं, तो **उन्हें अपनी संपर्क जानकारी देने के लिए कहें।** आपको उनको यह बताने की आवष्यकता नहीं हैं कि व्यक्ति को कहां ढूंढना है और आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए।

यदि आईसीई गिफ्रतारी कि लिए मेरे घर के अन्दर है तो मैं क्या कर सकता / सकती हूँ?

- उन्हें बतायें यदि घर में कोई बच्चा या कमज़ाार परिवारिक सदस्य है।
- अगर उनके पास जज द्वारा हस्ताक्षरित किए वारंट ना हों तो उन्हें घर से बाहर जाने कि लिए कहें।
- यदि वो आपकी आज्ञा के बिना न्दर आये हैं, तो उन्हें कहें, **''मैं अपने घर में आपकी उपस्थिति से सहमत नहीं हूँ। कृपा करके यहां से जाएँ।''**
- यदि वे आपके घर के कमरों व चीज़ों की ताला'ाी लेना 'ारू करते हैं तो उनको कहें, **''मैं आपके द्वारा ली जा रही तालाषी से सहमत नहीं हूँ।''**
- अगर आईसीई अधिकरी आपके गिफ्रतार कर रहे हैं, तो उनको बताएं कि आपको सेहत से संबंधित समस्याएं हैं या अपको अपने बच्चों की देखभाल के लिए प्रबंध की आवष्यकता है।

यदि मुझे आईसीई द्वारा गिफ्रतार किया जा रहा है तो मेरे अधिकार क्या हैं?

- आपको **चुप रहना** होगा। आपक वकील के साथ बात करने का अधिकार है।
- **झूठ न बोलें।** इससे भविश्य में आपको नुकसान पहंच सकता है।
- आपको इस बारे में **काई भी जानकारी साझा करने की आवष्यता नहीं है** कि आपका जन्म कहां हुआ था, आपकी अप्रवासन स्थिति क्या है, और आपक काई आपराधिक रिकॉर्ड। प्रष्नों के उत्तर देने की बजाए उनको किसी वकील के साथ बात करने के लिए कहें।
- आपको अपने **दस्तावेज़ या पास्पोर्ट देने की आवष्यकता नहीं ह।** जब तक कि उनके पास जज द्वारा हस्ताक्षरित किया कोई वारंट ना हो।
- आपको किसी भी **दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने कि आवष्यकता नहीं है।**

फरवरी 2025 को अपडेट किया गया
अधिक जानकारी के लिए **immdefense.org/kyr**

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Intl. License.
(creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0)

IDP IMMIGRANT DEFENSE PROJECT
KYR@immdefense.org